

‘लंगड़े बारात के घोड़े, “रेस हॉर्स” बनना चाहते हैं’

राहुल की इस शिकायत से कई पुराने नेता अति नाखुश, पर बेबस हैं

– रेणु मित्तल –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 4 जुलाई। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के उन जनरलों (वरिष्ठ नेताओं), जिन्होंने वर्षों तक वफादारी और समर्पण के साथ पार्टी की सेवा की है, के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें “लंगड़े घोड़े” कहा, जो अब बूढ़े, बीमार और संगठन के लिए बेकार हो चुके हैं, जिन्हें अब हटा कर “चरागाह” में भेज दिया जाना चाहिए। इस पर पार्टी के अंदर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई।

पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस टिप्पणी से न केवल आहत हैं, बल्कि गुस्से और दुख से भी पर उठे हैं। पार्टी से लंबे समय से जुड़े मझोले स्तर के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की भाषा और शब्दों के चयन को घमंड से भरा तथा एक नेता के लिए अनुपयुक्त करार दिया।

एक अन्य कार्यकर्ता ने यह पूछ लिया कि क्या वे (राहुल) यही शब्द अपनी माँ और बहन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ने रिटायरमेंट ले लिया है और दूसरी को कुछ वर्षों से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी

■ पर इतना जरूर हुआ है कि दबी जुबान से सवाल भी पूछे जाने लगे हैं, राहुल गांधी के बारे में।

■ जब राहुल, पुराने “अनफिट” नेताओं के रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सोनिया गांधी का नाम लेने लगे हैं लोग, क्योंकि वे काफी असें से बीमार चल रही हैं, पर आखिरी निर्णय में उनकी काफी चलती है।

■ जिन लोगों को राहुल रिटायर देखना चाहते हैं, उनमें कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेन्द्र हुड्डा का नाम ऊपर ही ऊपर है।

■ जो, अपने आप रिटायर कर दिये गये उनमें टॉप में नाम हैं जनार्दन द्विवेदी का, जनार्दन द्विवेदी एक तरह से सोनिया गांधी के “मेंटर” जैसे थे, पर, उन्होंने अकारण एक स्टेटमेंट दे दिया कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि दोनों भाई-बहन में प्रियंका ज्यादा उपयुक्त हैं, राजनीति के लिए। इस वक्तव्य के बाद वो कांग्रेस के रंगमंच से गायब से ही हो गये थे।

■ इसी प्रकार गहलोत, हाईकमान के खिलाफ बगावत करने के कारण, “साइड लाइन्ड” हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद, “एंट्री” नहीं पा सके हैं।

की कमान संभाली है, पार्टी में नेताओं की तीन श्रेणियां उभर कर सामने आईं

हैं: वे, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है, वे जिन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया

है, और वे, जो पार्टी के संचालन के तौर-तरीकों से नाखुश होकर पार्टी छोड़ गये हैं।

सबसे पहला नाम, जिसकी चर्चा पार्टी में होती है, वह है प्रियंका गांधी का। वे हाईकमान का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें एक तरह से निष्क्रिय कर दिया है। वे कहने को तो एआईसीसी की महासचिव हैं, लेकिन उनके पास न कोई विभाग है, न कोई जिम्मेवारी। उनके करीबी लोग पार्टी पदों से हटा दिए गए हैं और अन्य लोग भी उनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि प्रियंका उनके करियर में कोई मदद नहीं कर सकती।

ऐसे नेताओं की सूची लंबी है। जनार्दन द्विवेदी, जिन्हें सोनिया गांधी का राजनीतिक गुरु तक माना जाता था, ने एक बार सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि प्रियंका गांधी राजनीति में राहुल से अधिक उपयुक्त हैं तथा वे राजनीति में अच्छा काम कर सकती हैं। उसी दिन से द्विवेदी का पतन शुरू हो गया और वे पूरी तरह हाशिए पर चले गए।

अशोक गहलोत, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तथा तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या पर सुनवाई जुलाई के अंत में

जयपुर, 4 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों के आत्महत्या करने से जुड़े मामले में सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में रखी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अवलत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समान मामला लंबित बताया जा रहा है। वहां 17 जुलाई को

■ सुप्रीम कोर्ट का इस बिंदु पर रुख स्पष्ट होने तक हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली।

सुनवाई होनी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च शिक्षा को लेकर मामला सुन रहा है या कोचिंग छात्रों के बिंदु पर प्रकरण की सुनवाई कर रहा है। ऐसे में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद इसकी स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इसलिए प्रकरण की सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में करना उचित होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भगवान को न्याय में देखें जजों में नहीं’

– जाल खंभाता –
– राष्ट्रदूत नई दिल्ली –
नई दिल्ली, 4 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोगों से यह सलाह दी कि वे भगवान को न्यायाधीशों में न दूढ़े बल्कि न्याय में दूढ़े। जस्टिस एमएम सुंद्रेश ने यह टिप्पणी उस समय की, जब एक वकील ने कोर्ट में कहा, “जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।”

न्यायमूर्ति सुंद्रेश ने स्पष्ट किया कि न्यायधीश सिर्फ विनम्र सेवक होते हैं और उन्होंने कहा, “हम में भगवान की न तलाश करें, न्याय में भगवान की तलाश करें। हम केवल विनम्र सेवक हैं।”

■ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंद्रेश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान उस समय यह टिप्पणी की जब वकील ने कहा कि जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।

यह टिप्पणी एक वकील द्वारा एक नोटिस पर आपत्ति जताए जाने के बाद आई, जिसमें यह दावा किया गया था कि वकीलों ने न्यायधीशों को फिक्स किया था। वकील ने उस नोटिस को “अपमानजनक” बताया। जस्टिस सुंद्रेश ने कहा, कृपया भावुक न हों। जज के तौर पर हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।। पिछले साल, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने भी यह स्पष्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात हाईकोर्ट्स में 36 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने दो दिन तक 54 उम्मीदवारों का इटरव्यू लेकर यह नियुक्तियां की हैं

■ इन 36 जजों में से दो जज राजस्थान हाईकोर्ट के लिए चयनित हुए हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट व मध्यप्रदेश में दस-दस, तेलंगाना व गौडारी हाईकोर्ट में 4-4, दिल्ली हाईकोर्ट में तीन तथा पटना हाईकोर्ट में दो जज नियुक्त किए गए हैं।

■ कोलीजियम ने इस बार नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का विकल्प चुना है, बजाय दस्तावेजों की जांच के। जिन अर्थथियों का साक्षात्कार हुआ उनमें न्यायिक अधिकारी व वरिष्ठ वकील शामिल हैं।

अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में 10–10, तेलंगाना और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में 4–4, दिल्ली उच्च न्यायालय में 3, राजस्थान और पटना उच्च न्यायालयों में 2–2 तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 नाम की सिफारिश की गई है।

कोलीजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, और वरिष्ठ

न्यायमूर्ति सूर्यकांत व विक्रम नाथ शामिल हैं। उन्होंने 2 और 3 जुलाई को ये साक्षात्कार आयोजित किए। चयनित उम्मीदवारों में न्यायिक अधिकारी और बार से जुड़े वकीलों का मिश्रण है, जिनका चयन कानूनी समझ, समसामयिक संवैधानिक मुद्दों पर उनके विचार और व्यक्तित्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया। कोलीजियम की यह नवीनतम

पहल एक स्थायी बदलाव को दर्शाती है, जिसमें केवल दस्तावेजी समीक्षा की पारंपरिक प्रणाली से हटकर अब प्रत्यक्ष संवाद और सक्रिय मूल्यांकन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पहले की प्रणाली में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकारों, केंद्रीय विधि मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो की रिपोर्टों को प्रमुखता दी जाती थी, जबकि नई प्रक्रिया में उम्मीदवारों के साथ सीधे संवाद को ज्यादा महत्त्व दिया गया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साक्षात्कार सुप्रीम कोर्ट की पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित किए गए, जिन्हें अब “आंशिक कार्य दिवस” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस दौरान जहां न्यायिक पीठों ने अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की, वहीं प्रशासनिक व संस्थागत कार्य, जैसे नियुक्तियां आदि, भी सक्रिय रूप से जारी रहे।

बिहार के एस.आई. आर. के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस

नयी दिल्ली, 04 जुलाई। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय जायेगी। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया लगभग दो करोड़

■ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन से दो करोड़ मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यह राष्ट्रीय मसला है इसलिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।

मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। पार्टी सूत्रों ने आज यहां बताया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सार-समाचार
केडीए आयुक्त ने कार्यभार संभाला



कोटा, (निर्स) कोटा विकास प्राधिकरण प्राधिकरण के आयुक्त पद का कार्यभार कुशुवार को हरूलू सिंह यादव द्वारा हान किया गया। साथ ही, श्रेष्ठ एवं आयुक्त ने उच्च अधिकारियों को बैठक की। जिसमें सचिव, उपायुक्त, निदेशक वित्त, निदेशक अभियान्त्रिकी, निदेशक आयोगना एवं वित्त अधिकारी उपस्थित रहे एवं उनसे प्राधिकरण को वित्तीय स्थिति, नई स्कीम, निर्माण कार्यों में प्रगति, वॉटर लॉगिंग एरिया आदि विषयों पर चर्चा की गई। केडीए आयुक्त ने प्राधिकरण की योजनाएं देवनारायण आवासीय योजना, रामपुर अफेक्टड हार्डसिंग योजना के आवासों का निरीक्षण किया तथा इनके कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने एवं शीघ्रता प्रदान करने के निदेश दिए। साथ ही, उन्होंने अनन्तपुरा नाले का निरीक्षण किया जिसमें भू-स्वामित्व की जानकारी के निदेश दिए। उन्होंने सहको के प्रेर रिपयर एवं डिवाइज, प्लांटेजिंग व पौधारायण (हरियालो राजस्थान के तहत) को शीघ्र किए जाने के निदेश दिए।

दो ट्रैक्टर चोर गिरफ्तार

छब्बा (निर्स) पुलिस ने जैलमें दो ट्रेक्टर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफास करते हुए दो ट्रेक्टर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक चोरी का ट्रेक्टर बरामद किया है। सीआईए राजेश खटाना ने बताया कि अशोक गालव पुत्र हीरालाल निवासी हिलतुप्य कोलीनो ने रिपोर्ट दर्ज कराया थी कि 5 जनवरी 2025 को सप्तम गंगोर रोड पर खड़ा किया था। सुबह मैंने उठकर देखा तो ट्रेक्टर चोरी व ट्रेली वहां नहीं मिले। जिसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। इस पर मामला टाट कर जांच शुरू की गई और विशेष टीम के गठन करके तत्कालीन हुए जागदीश प्रसाद सस्ति प्रभारी तनवीकी शाखा बारां से तबकी की सहायता प्राप्त की गई एवं सीसीटीवी फुटेज खंगाले व मानव आसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया तो यह तथ्य प्रमाणित हुकि एक संगठित गिरोह अंतरराज्यीय ट्रेक्टर चोरी गैंग परी जुलै में सक्रिय है, जो योजनाबद्ध तरीके से विशेष टीम द्वारा ट्रेक्टर चोरी करते हैं तथा इन चोरों के ट्रेक्टरों को हमीप व युपी में चंबल नदी में अवैध बजरी खनन में प्रयोग करते हैं। इस पर सुजान गुर्जर पुत्र नरीलाल अई गौरैलाल (32) निवासी पुष्पयुथाना जावर जिला झालावाड व लालू यादव (30) पुष्पयुथाना गैदालाल निवासी विलास थाना केंट गुना मप्र को गुना से गिरफ्तार किया जिसे गुना पुलिस ने चोरी हुए दो ट्रेक्टर को बरामद किया। उक्त ट्रेक्टर छब्बा पुलिस का माल मशरूका होने से जप्त कर आरोपियों को को न्यायालय फौजदारी क्रम एवं से प्रोडेशन वार्ड प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में एसआई दिलीप कुमार, कॉन्स्टेबल शिवराज

सातलखेड़ी में लगे सिलिकोसिस स्क्रीनिंग व जागरूकता कैंप

रामाजीमजुडी, निस)। निरांगी कोटा स्वस्थ कोटा के तहत शुक्रवार को रामगंगवाडी उप खण्ड के सातलखेडी में एसआईआई कंपनी को कोटा स्टोन खनन पर चिकित्सा विभाग की ओर से सिलिकोसिस स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें माईंस और आसपास के क्षेत्रों के 54 खनन श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की परामर्श दीया। सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नाथ ने बताया कि कुल श्रमिकों में से 11 के चेस्ट एक्सरे और बलगम को जांच की गई। 35 श्रमिकों को बीपी व शुगर की जांच की। डीटीओ एसपन मीणा ने बताया कि शिविर में श्रमिकों व अन्य लोगों को सिलिकोसिस से बचाव के लिए उपयुक्त साधन व आवश्यक सावधानियां अपनाने की हिदायत दी। खनन क्षेत्रों में हड्डिजांग करके समय व ब्लॉस्टिंग मशीन से खनन में काम करते समय उड़ती धूल-मिट्टी से बचाव करने, खनन क्षेत्रों के कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव करने, खनन कार्य के समय हड्डि मास्क का उपयोग करने जैसे उपचार बतलाए गए। साथ ही टीसीटी रोग से बचाव-उपचार निश्चय मित्र, निक्षय संवात योजना के बारे में भी बताया व जागरूकता पम्फलेट वितरित किए। शिविर में चेस्ट फिजिशियन डॉ. हेमन्त शर्मा और लैब सुपरवाइजर प्रबल शर्मा सहित सातलखेडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉ. मुकेश गुप्ता और उनके स्टॉफ ने सेवाएं दी।

200 પૌધે લગાવ

कोटा, (निर्वा) लायंस क्लब कोटा टेक्नो ने अपना जन सेवा का अभियान पदमार्ग प्रारम्भ करते ही शुरू कर दिया है। नई कार्यकारिणी ने ऊर्जा के साथ अपने कार्य का आगाज किया है। कोटा को टैम ने मोदी लॉ कॉलेज के विशाल परिसर में 200 पौधे लगाए हैं साथ ही स्ट्रैंडेट को 50 औषधीय पौधों का गिना प्रारम्भ किया है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक भुवनेश गुप्ता के अनुसार पौधारोपण समारोह के मुख्य अतिथि भीलावाड़ा से कोटा प्रवास पर रहे लायंस क्लब के उच्च प्रांतपाल प्रथम निशांत सिंह रहे। इस अवसर पर निशांत ने सर्वोपयोग करतु हूए कहा कि हरित क्रांति के लिए हमने जो पलट को है वह काफी प्रेरणास्पद है, एक परिवार यथि एक भी पौधा लगाता है तो वर्तमान में आ रही अतिकृषि, पर्यावरण प्रदूषण, अनाकृषि व अंगनगत बीमारियों को दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त प्रादेशिक परिहार अधिकारी राजीवर त्यागी ने कहा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण बेदद ही आवश्यक है।

वरिष्ठ नागरिक संस्थान ने जूट के बैग बांटे

कोटा, (फर्स) वृद्ध नगरिक संस्थान द्वारा सावधिगत नीतिगत के साथ प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। संस्था अध्यक्ष टीपीएसरी सेठी ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी सदस्यों को जुट निर्मित बैग विनिर्तित कर संदेश दिया गया। संस्था के प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग न करें। सेठी ने बताया कि वृद्ध नगरिकों ने संकल्प लिया है कि वह जहां भी जाएंगे वहां या कपड़े को थैला लेकर जाएंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक त्यागी, कमिश्नर नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा विषयवार्ताएं सभी को प्रपथ दिलाते और ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए नगर निगम द्वारा हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कचरे निस्तारण में हम सभी की भूमिका अहम है, यदि हम सही तरह से कचरा का निस्तारण करते हैं तो शहर स्वच्छ होगा। नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा ने संस्था के सामाजिक कार्यों को सराहा, उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नगरिक संस्थान शहर व प्रदेश के मुख्य प्रोजेक्ट पर लब्ध समर्थन से काफ़ी कर रहा है।

मालगाड़ी की चपेट से युवक की मौत

छब्ड़ा (रसिक) छोट्टा-बीना रेले लाइन पर गुंगार फाटक के निचट
 दुनूवारा सजि को एक युवक की मालगाड़ी में पछेड़ में आने से
 गहलका मोत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुँची छब्ड़ा
 पुलिस से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कवाफ़ कर शव परीक्षण
 के सुपुर्द कर दिया। प्राप जानकारी के अनुसार घटना की सूचना
 पर पहुँची छब्ड़ा पुलिस ने जान की कब्जे में लिया। मृतक की
 शिनाख्त दीगद हाल युमक को कब्जा निवासी बाबूलाल धाकड (41)
 के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाला शव परीजनों
 के सुपुर्द कर दिया तथा मृग दर्ज कर जांच सुचारु कर दी है।

श्रीराम कथा शुरू

छबड़ा (निसं)। बालापुरा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में शुक्रवार को जल कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा सुर्वाह हो गई है। जिसमें सै हज़ारों संख्या में महिलाओं, युवतियों ने भाग लिया। कथावाचक पण्डित रमेश भार्गव ने यहां भागवतानुसार शिवजी सती के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव अपनी सती को अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाते हैं और सती के जीवन को सफल करवाते हैं। परंतु सती सुंदरी से कथा नहीं सुन पाती है और उनको भगवान श्रीराम पर गुस्से हो जाता है।

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम का जन्मदिवस मनाया

कोटा, (निसं)। महिला कांग्रेस कोटा शहर जिला अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद शालिनी गौतम के जन्मदिवस के पावन अवसर पर कोटा शहर में जनसेवा से ओत-प्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रक्तदान, गौसेवा, फल वितरण, पौधारोपण और वृद्ध सेवा जैसे पुण्य कार्य ने इस दिन को प्रेरणादायी बना दिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस महासचिव राखी गौतम रही। युवा नेतृ सचिव सिंह नायक द्वारा अप्रत्याश ब्रंड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 124 युनित रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में युवाओं और समाजसेवियों ने बद्ध-चढ़कर भाग लिया, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग की भावना को बल मिला। समाजसेवियों रोहित प्रजापति ने दादाबाड़ी की गौशालाओं में जाकर गायों को हरा चारा डाला, जो हमारी संस्कृति में गौमाता के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की भावना को प्रकट करता है। पूर्व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष गुर्जर ने मेडिकल कॉलेज के प्रभूति वाडों में फल वितरित कर नव-प्रसूताओं को शुभकामनाएं दी और मातृशक्ति का सम्मान किया। मंडल अध्यक्ष धर्मवीर मेघवाल ने स्वामी विवेकानंद नगर स्थित सेवाधाम वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

आदर्श विद्यार्थी सेवा संस्थान द्वारा
रंगबाड़ी बालाजी मंदिर परिसर में 200

सात आवासीय योजनाओं की लॉटरी निकाली

काटा, (निस)। काटा विकास प्राधिकरण द्वारा सात आवसीय योजनाओं को लांटी जिर्मेम चन्द्रमौली आवसीय योजना, कुंद कुंद आवसीय योजना, गाविर्न बाई फुले, सीएनए, मोहनलाल सुखडिया, सोबिर्न नगर विस्तार तथा देनारायण नगर आवसीय योजना के कुल 167 आवंटर पत्रों को लांटी में सम्मिलित किया गया। लांटी को शुरुआत आयुक्त हरफूल सिंह यादव व सचिव कुशल कोठारी द्वारा कमेटी के सदस्यों एवं उपस्थित आमजन के समक्ष भूखंड एवं आवंटर को एक-एक पर्ची निकालकर की गई। इस दौरान निदेशक वि.प. नौतू सिंह, निदेशक नियोजन के.के. जाँगिड, निदेशक विजय जीवांग, प्रसन्न सलाकार प्रमानन्द गोयिल, राजीव कलेक्टर अस्थिति इला प्रमात्रा, सहायक लेखाधिकारी मोहर सिंह मीना, सहायक निदेशक अधिकारी प्रकाश चंद उपस्थित रहे। प्रसन्न आवंटर को आवंटर पत्र प्राप्त करने हेतु विशेष शिपिर्न आयोजित किया जायेगा।

अंत्योदय संबल पखवाडा आयोजित

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का एक छत के नीचे समाधान करने की मंशा के साथ प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संमेलन पखवाड़ा अयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े में लगाए जा रहे शिविरों में राजस्व से संबंधित समस्याएँ लेकर आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का निदान होगा। अधिकारी रास्ता खोलेंगे, आपसी सहमति से भूमि विभाजन, नामांतरकरण, शुद्धिकरण सहित राजस्व से जुड़े अन्य प्रकरणों की विशेष मॉनिटरिंग करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

यों का प्रेमचमक रूप पर्यावरण संरक्षण को
नेपाल में झुग्री-पिछवर्धियों में बिजोद योगी
ने ने के पैकेट वितरित किए गए। राखें
न के कहा कि यह केवल आयोजन नहीं
एक सेवेनशील जन्मतिथि है।
च और सम्पूर्ण का प्रतीक है। रस्तेदार
लेकर गाँसेवा, ब्रह्मारोपण से लेकर
सम्मैसात्म्य तक हर पहलू में उन्होंने
के हर वर्ग को जोड़ा और उद्ये
नाया कि राजनीति का असली उद्देश्य
सेवा ही है। महिला नेतृत्व इस तरह
आगे आता है, तो वह न केवल प्रेरण
है, बल्कि सामाजिक चेतना की भी एक
दिशा देता है।

शालाना गाधाम न सभा आयाजका आ
भागीयों का आभार व्यक्त करते हुए
हम कि सच्चा उत्सव वहीं होता है ज
साथ की सेवा और फलरतमें की मदद
साथ मनाया जाए। सभी सहयोगीयों
आभारी हूँ जिन्होंने यह दिन मेरे न
नाम के नाम किया। कार्यक्रम में अंकु
नाम, नरोतम शर्मा, दीपक गुर्जर मंत्री
निलस शर्मा, रमेश यादव, निरंज
यानी, संजय बाजोरा, दीपक योगी
नाम सिंह भाटी, बिनोद योगी, सेवालद
व्यवस्था प्रदीप पंवार, इनयत अली शा
तन नागर, आशीष नागर, कृष्णा मेहरा
नाम, गुर्जर, भीमा गुर्जर, अर्पि
वामना, सुमित शर्मा, सुनू वंसल आदि
यकता मौजूद रहे।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा खण्ड
कोटा
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास
अधिनियम 1959 की धारा 17
के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 67/2025
चुँकि श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री नन्द
किशोर शर्मा निवासी ग्राम कंवपुरा तह
लांडपुरा जिला कोटा द्वारा राजस्थान
सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की
धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रन्त्यास "मिट्टर
श्री ठाकुर श्री चतुर्भुजजी" विद्यमान ग्राम
कंवपुरा तह लांडपुरा जिला कोटा के
सम्बन्ध में पंथीयन हेतु जांच किया जाने
के लिये आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव प्रा.पत्र 18 की उप-धारा (2)
द्वारा प्रस्तुत शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त
प्रन्त्यास जिसकी जांच की जा रही है, में
हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम,
सम्बन्ध जानकारी के लिये, यह नोटिस
प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस
के जारी होने की तारीख से 60 दिन के
भीतर उक्त प्रन्त्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां
यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और सूचित किया जाता है कि यदि
उपरोक्त निहित अधिव्य के भीतर कोई आपत्तियां
प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र
निहित प्रक्रिया अनुसार निमित्त किया जायेगा
तथा प्रा.पत्र नामित के नोम्बर
अभिलिखित किया जायेगा।
आज दिनांक 03.09.2025 को मैंने
हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन
जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई
की दिनांक 03.09.2025 है।
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, कोटा

जे.के. श्रमिकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी

काठा, (निर्स)। सीहू के बेगल तलेर के के की मजदूर यूनियनों के नेता कामरेड हबीब खान, कामरेड आमशंकर, कामरेड नरेंद्रसिंह के नेतृत्व मे जेके मजदूर बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चित कालीन धरना लगाकर बैठे हुए है। जेके मजदूरों की जिला प्रशासन की मांग सरकार से कर रहे है। मजदूर नेताओं ने कहा पिछले कुछ दिनों से कोठा जिले मे लगातार मानसूनी बारिश हो रही उसके बावजूद भी जेके फैक्ट्री के मजदूर अपने परिवार की महिलाओं व बच्चों सहित इस बारिश मे भी अपनी मेहनत का पैसा सरकार से लेने के लिए डटे हुए है।

से मांग ह की जबकि सरकार से ज के फैव्वी की तर्फ से बकाया हमात वेतन भुगतान सरकार से नहीं करवाया जाता तब तक बकाया वेतन भुगतान को लेकर धरना जारी रहेगा। धरने को सम्बोधित करने हुए जे के मजदूर नेता आम शंकर हबीब खान, कालीचरण सोनी, नरेंद्रसिंह, महिला मजदूर नेता पुष्पा खीची, रोशिया, जाहिदा बागो ने कहा की 18 फवरी से बकाया वेतन भुगतान

मजदूरों ने कहा हमारा धरना आतम निर्णय है हमारा वेतन भुगतान होत तब जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना जारी रहेगा। 137 वें दिन धरने को मजदूर नेता हबीब खान, नरेंद्रसिंह, उमाशंकर, अली मोहम्मद कालीचरण सोनी, मदन मोहन शर्मा, हनुमान सिंह, केदार जोशी महिला समिति सयोजक पुष्पा खीची, मंत्री रोशिया और जाहिदा बागो, रमा रघुवर्मा आदि ने सम्बोधित किया।

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज०)

क्रमांक:-ननिको(उ.) / जनस्यार्थ/ 2025 / 396-405 दिनांक :- 03.07.2025

--: निविदा अवधि विस्तार सूचना --:

इस कार्यालय द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के मुख्य मार्गों व अन्य आयोजनों हेतु आवश्यकतानुसार संवेद्यक के माध्यम से सफाई कार्य हेतु 310 बी० अकुल श्रमिक की सेवाओं के उपपान के लिए ऑनलाइन बोली। दर सविदा वार्षिक कार्य हेतु ई-निविदा सूचना क्रमांक ननिको(उ.) / जनस्यार्थ/ 2025 / 372-84 दिनांक 23.06.2025 में निम्नानुसार समाप्तवादी विस्तार किया जाता है। उक्त निविदा की तिथि को बढ़ाते हुए डाउनलोड व अपलोड करने की तिथि 30.07.2025 समय सायं 6.00 बजे तक बढ़ाई जाती है एवं तकनीकी बिड खोलने की तिथि 31.07.2025 दोपहर 12.00 बजे तक वित्तीय बिड तकनीकी परीक्षण परम्प्रा खोली जावेगी।

यह आदेश सप्तास स्तर पर अनुमोदित है।

अधो आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

राज.संवाद / सी / 25 / 5576

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11	दिनांक:- 04.07.2025
वि.क्र./2025/190	विज्ञापित

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना श्रीरामकृष्णपुरम-जी आवासीय आवास संस्था 115 को आर्वन्ट/न्यास के पत्र क्रमांक 76 दिनांक 13.05.1998 को श्री बाबुलाल पोरेला पुत्र श्री धोंसीलाल को आर्वन्ट किया गया था। उक्त आवास की विक्रय स्वीकृति जयें मुख्तारआम श्री भीमराज नागर पुत्र श्री राम किशन नागर द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोटा एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्तर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद पूरने के पश्चात उक्त आवास संस्था 115 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-जी आवासीय को विक्रय स्वीकृति श्री बाबुलाल पोरेला पुत्र श्री धोंसीलाल जयें मुख्तारआम श्री भीमराज नागर पुत्र श्री राम किशन नागर के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर परिषद बूंदी

क्रमांक:-1827 सार्वजनिक सूचना दिनांक:-25.6.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रणजीता सिंह पति श्री राज बहादुर निवासी बूंदी का आवेदन नाम परिवर्तन वास्ते प्राप्त हुआ है। मुखण्ड संख्या 20 वॉके जमुना रोजेडीसी का नाम 1200 वर्गफुट पट्टा संख्या 780 दिनांक 26.06.2019 से मेधा अग्रवाल पति श्री निकि अग्रवाल के नाम जारी किया गया था। जिसको दिनांक 10.10.2024 से जर्जरी फिर. विक्रम पत्र के आधार पर श्रीमती रणजीता सिंह पति श्री राज बहादुर को बेचा कर दिया गया। आवेदक द्वारा जर्जरी रजिस्टर्ड 26.06.2024 के आधार पर पट्टे में नाम परिवर्तन चाहा है। इस बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय हाजा में प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियार गुजरने के बाद विचार नहीं किया जावेगा और नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा। सूचित हो।

आयुक्त नगर परिषद, बूंदी

कार्यालय नगर पालिका कापरेन जिला बून्दी (राज.)
 क्रमांक:-न.पा.का./2025/603 दिनांक:-03.07.2025

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री रामलक्ष्मण जाति कुम्हार जाति कापरेन जिला बून्दी (राज.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर श्री रामलक्ष्मण जाति श्री केशवजी नाविस कापरेन जिला कापरेन के नाम बने श्री होल्ड आवासीय रिस्टर्ड प्लुट क्रमांक 174 दिनांक 10.1.2023 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट अर्थात् 111.52 वर्गमीटर में से 600 वर्गफीट अर्थात् 66.6 वर्गवज के हिस्से को श्रीमती मीना कुमारी द्वारा रजिस्टर्ड खरीद किया गया है। उक्त खरीद शुद्ध हिस्से का स्वयं के नाम नामान्तरण करवाने हेतु पालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनके संबंध में दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति 7 दिवस में कार्यालय नगरपालिका में प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधि पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

अधिशायी अधिकारी नगर पालिका कापरेन

मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा

छब्बा (निर्दल) सालगुप सडक माग पर बहुरा दसना हारदो को लेकर आक्रोष अब बहुरा ही हो जा रहा है। बलरा की टक्कर से दो युवकों की हुई मृत्यु के मामले में ग्रामाणीय पर परिजन ने नुस्खावार को छब्बा प्लांट के मुख्य दरवाजे पर शक्तिपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रतिनिधिमंडल ने सुपर क्रिस्टल क्लब प्लांट के मुख्य अधिपत्या को तालिनी सूत्रीय रूप को लेकर जापान देते हुए उचित कार्रवाई लिए जाने की मांग की।

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)

E-Mail Id :- np.sangod@gmail.com Phone No :-07450-294239

क्रमांक :- न/पासां/70 /मू/नि / 2025- 26 / 1600- 01 दिनांक :- 03-07-2025

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण मीट विक्रेताओ को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सांगोद द्वारा नबनिर्मित मीटनकडी सौर सेल रोड सांगोद में मीट विक्रीय हेतु निमित्त दुकानो का आवंटन करने के लिये किये गये सूचों के अनुसार 16 विक्रेताओ की सूची निम्त की गई है जो आपकी नोटिस बोर्ड पर एवं कार्यालय नगर पालिका के कमरा नम्बर 03 में उपलब्ध है। मीट विक्रेताओ की सूची सूची पर जिस कमीडी की भी आपति हो वह दिनांक 11.07.2025 तक अपनी आपति कार्यालय नगर पालिका सांगोद में प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद उक्त सूची पर कोई आपति स्वीकार नहीं होगी तथा दिनांक 15.07.2025 तक 18.07.2025 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

रज.सं.सां.द/मू/नि/ 25/ 5568 प्रशासक अधिशाही अधिकारी

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-2324	नाम हस्तान्तरण चाहेत नाबत आम सूचना	दिनांक-4.7.25
--------------	------------------------------------	---------------

नगर विकास न्यास कोटा येना गुजवला विलाह रेश्येत पुनर्वास के भूखंड/आवास संख्या 178 श्री रघुवीर कुशवाह पुत्र श्री गजवलाल कुशवाह को आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 08.08.2022 के द्वारा आवंटन जारी किया गया था आवंटन श्री रघुवीर कुशवाह को भूखंड/आवास संख्या 07.06.2024 के द्वारा उधारी आवादी के विधिपर कार्रवाई द्वारा प्रस्तुत समवेतोर्गे में मंजूर भूखंड/पत्र, रीतील अड्डे, वारिसन शरण पत्र, गवाह शपथ पत्र, आह.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास आम नामहस्तान्तरण कर के स्वीकृत नगर विकास न्यास को चाही जा रही है।

अतः प्राय विधिपर गवाह अनुसार जरिये आम स्वीकृत किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोटी रेषाराज को तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अंदर अन्तर आनी अपारि प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाज गुजरेले के रेषरात उक्त भूखंड/आवास संख्या 178 येना गुजवला विलाह रेश्येत पुनर्वास को नाम हस्तान्तरण श्रीमती नब्बो बाई पत्नी स्व. श्री रघुवीर कुशवाह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपाध्यक्ष कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ 11 विनय/2025/191	विनायति	दिनांक:- 4.7.25
------------------------------	---------	-----------------

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना सुभाष नगर आवासीय मुखर्द संख्या 891 को आवंटन/न्याय पत्र क्रमांक 98 दिनांक 18.04.1991 को श्री विनय चन्द सिन्हा पुत्र श्री एच.सी. सिन्हा को आवंटन किया गया था। उक्त मुखर्द की रजिस्ट्री जयें मुख्तारआम श्री वेद प्रकाश तिवारी पुत्र श्री गोपाल प्रसाद तिवारी द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जायें आम सूचित किया जाता है कि इस रजिस्ट्री में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विनायति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्तर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा निम्नाद मुखरे के पश्चात उक्त मुखर्द संख्या 891 योजना सुभाष नगर आवासीय की रजिस्ट्री श्री विनय चन्द सिन्हा पुत्र श्री एच.सी. सिन्हा जयें मुख्तारआम श्री वेद प्रकाश तिवारी पुत्र श्री गोपाल प्रसाद तिवारी के नाम जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ/तहसील/क.व. /2025/1062 दिनांक-2.7.25

नाम हस्तांतरण हेतु विज्ञापित आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के महत सर्वे संख्या 471 कच्ची बस्ती बापू नगर का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/10 दिनांक 23.02.2005 को श्रीमती राज कवर्न पत्नी श्री महावीर सिंह को आवंटित किया गया था। आवंटित श्रीमती राजकवर्न का स्वर्गवास निधन 24.12.2020 को हो जाने के कारण आवेदन द्वारा प्रस्तुत हक त्याग रिजल्टी डीड दिनांक 24.12.2024 एण्ड शपथ-पत्र एण्ड मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री महावीर सिंह पुत्र प्व. भूपू सिंह ने स्वयं के नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तांतरण प्रस्तावित है।

उपरोक्त नाम हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो वह 7 दिसम्बर में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा यह भाग्यदत्त अवकाश का नाम हस्तांतरण की श्री महावीर सिंह पुत्र प्व. भूपू सिंह को कर दिया जावेगा।

न्यायक कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ.तहसील/का.क./2025/1066 दिनांक:-4.7.25

नाम हस्तान्तरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के महत सर्वे संख्या 266 कच्ची बस्ती बजरपुरा का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/19 दिनांक 04.03.2014 को श्रीमती मोडी पत्नी स्व. छोदलाल को आवंटित किया गया था। आवंटो श्रीमती मोडी का स्वर्गवास दिनांक 15.08.2018 को हो जाने के कारण विधिवे वारिसांन कोटा आवेदन के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड हक हत्याप पत्र दिनांक 15.05.2025 से शायप पर एवं तुल्य प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रमेश पुत्र श्री छोदलाल ने स्वयं के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तान्तरण प्रस्तावित है।

अतः उक्त नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद मिनाद उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण श्री रमेश पुत्र श्री छोदलाल के नाम कर दिया जावेगा।

उपअधिवक्ता कोटा विकास प्राधिकरण



कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा, Website : www.kotamc.org | E-mail : nkksouth@gmail.com

स्वच्छ भारत

पेड़ लगाओ

स्वस्थ भारत

जीवन बचाओ

कोटा शहर को सुन्दर बनाये

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2015 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने पर दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें जुर्माना या 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान है।

—:: उक्त कार्य गलत है अवैध कृत्य की श्रेणी में आते हैं तथा अधिनियम के तहत अपराध है ::—

- निजी मकान मालिक / संस्थान / मॉल की छत एवं दिवारों पर होर्डिंग्स / वॉलपेपर आदि लगाकर स्कूल, कोचिंग, होटल, अस्पताल आदि के अवैध विज्ञापन नहीं करें उक्त विज्ञापन पूर्णतया प्रतिबन्धित एवं निषेध है। विज्ञापनदाता को भी दोषी माना जावेगा।
- सरकारी सम्पत्ति पर फ्लैक्स/स्टीकर/बैनर/पम्पलेट आदि चस्पा कर सूचना या अवैध विज्ञापन नहीं करें।
- सरकारी विद्युत पोलों, परकोटा की दिवारों पर, बस स्टैण्ड / बस शेल्टर, फ्लाई ओवर के नीचे / ऊपर की दीवारों, पैशाबघर, सुलभ शौचालय आदि पर विज्ञापन चस्पा नहीं करें।
- विद्युत पोलों एवं साईडो के पोलों पर बगैर अनुमति विज्ञापन के बोर्ड नहीं लटकायें।
- केडीए की दिशा- सूचक गेन्ट्री पर अवैध विज्ञापन जन्मदिन, पलैक्स, बधाई संदेश आदि ना लगावें।
- बगैर अनुमति के यूनियोपल / होर्डिंग्स स्थापित कर अवैध विज्ञापन नहीं करें।
- सरकारी दीवारों, सर्किल की दीवारों पर व विद्युत पोलों पर हस्तलिखित पेन्टिंग कर विज्ञापन नहीं करें।
- सरकारी होर्डिंग्स जो कि सरकारी प्रचार-प्रसार के लिए लगे हुए हैं उन पर धार्मिक, जन्मदिन, बधाई संदेश, विज्ञापन आदि नहीं करें।
- सड़क के बीच, साईडों पर एवं डिवाइडरों पर अपने व्यवसाय एवं निवास के दिशा सूचक व साईन बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड नहीं लगावें।
- रास्ता एवं सरकारी पाकों आदि में टेन्ट लगाकर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु रास्ता / सड़क बंद नहीं करें और ना ही पाकों का कार्यक्रम हेतु उपयोग करें। उक्त कार्य में टेन्ट व्यवसायी को भी दोषी माना जावेगा।
- कच्चा मांस / मटन / सुर्गा / मछली आदि का अवैध रूप से बैचान / संचालन नहीं करें।
- आम सड़क एवं मुख्य चौराहों पर बगैर अनुमति के स्वागत द्वार नहीं लगावें।
- प्राइवेट संस्था कम्पनी / एजेन्सी / व्यक्ति विशेष निगम की अनुमति के बगैर रोड़ कटिंग नहीं करें एवं सड़क को खोदकर खराब / नुकसान नहीं करें।
- दुकानदार फुटपाथ पर अपने व्यवसाय से सम्बन्धित सामान फैलाकर अतिक्रमण नहीं करें।
- आमजन अपने पालतू जानवर गाय, भैस, आदि को सड़कों पर खुला नहीं छोडे।
- मुख्य सड़कों / चौराहों पर जानवरों को चारा आदि नहीं डालें।
- सरकारी भूमि पर एवं सरकारी भूखण्डों पर अतिक्रमण नहीं करें।
- ठेला व्यवसायी मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित नहीं करें।
- आम रास्ता / फुटपाथ / सड़क पर फुटकर विक्रेता अतिक्रमण कर व्यवसाय से सम्बन्धित सामान का बैचान नहीं करें।

—:: उक्त कार्य गलत है अपराध की श्रेणी में आते हैं ::—

नोट : उक्त कृत्य करते पाये जाने पर दोषी से जुर्माना वसूलने की कार्यवाही / सम्बन्धित थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाकर 02 वर्ष का कारावास से दण्डित किया जाना शामिल है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

अन्यत्र अपने पालतू जानवर गाय, भैस आदि को सड़कों पर खुला नहीं छोडे।



दुकानदार फुटपाथ पर व्यवसाय से सम्बन्धित सामान फैलाकर अतिक्रमण नहीं करें।



सरकारी सम्पत्ति पर फ्लैक्स, स्टीकर, बैनर आदि चस्पा कर सूचना या अवैध विज्ञापन नहीं करें।



केडीए की दिशा सूचक और विज्ञापन बोर्ड, बधाई संदेश आदि ना लगावें।



निजी मकान की दिवारों पर वॉलपेपर, अवैध विज्ञापन नहीं करें।



नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा जनहित में प्रसारित

अनुराग भार्गव RAS
आयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण

